Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में बॉयो फ्यूल प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) को 5 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 अप्रेल, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **सुरेन्द्र सिंह राठौड़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बॉयो फ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर** व देवेश शर्मा संविदाकर्मी को परिवादी से **5 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके बॉयो फ्यूल के व्यापार को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में **सुरेन्द्र सिंह राठौड़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बॉयो फ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर** द्वारा 15 लाख रुपये मासिक बंधी के रूप में तथा लाईसेंस नवीनीकरण हेतु 5 लाख रुपये, कुल **20 लाख रुपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज योजना भवन स्थित बॉयो फ्यूल प्राधिकरण के कार्यालय में ट्रेप कार्यवाही करते **सुरेन्द्र सिंह राठौड़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बॉयो फ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर** व देवेश शर्मा संविदाकर्मी को परिवादी से **5 लाख रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त** के निर्देशन में अग्रिम कार्यवाही जारी है। आरोपी के जयपुर शहर स्थित चार विभिन्न परिसरों निवास स्थान, फार्म हाउस एवं अपार्टमेंट में तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।